बीआरकेजीबी चालू खाता जमा योजना

क्र.सं.	बिन्दु	विवरण
1.	**योजना का नाम**	**बीआरकेजीबी चालू खाता जमा योजना** **BRKGB CURRENT ACCOUNT DEPOSIT SCHEME**
2	उत्पाद / योजना	चालू खाता मांग जमा राशि का एक प्रकार है जो विशेष रूप से कारोबार, व्यापार, संयुक्त स्टॉक व्यवसायियों, संस्थाओं, सार्वजनिक प्राधिकरणों, सरकारी निगमों आदि की आवश्यकताओं के अनुकूल है एवं जिसमें शेष राशि होने पर अथवा विशेष अनुमत राशि तक कितनी भी बार आहरण करने की अनुमति दी जाती है।
3.	विशेषताएं	1. भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश चालू खातों पर ब्याज का भुगतान प्रतिबंधित करते है। 2. खातों में आहरणों की संख्या और राशि पर कोई रोक नहीं है। 3. कुछ अपवादों के साथ चालू खातों में चैकबुक जारी की जाती है। 4. पहले से व्यवस्था करने पर ओवर ड्राफ्ट सुविधा की अनुमति है। 5. तीसरी पार्टी के चैक तथा परांकित चैक, वसूली तथा खाते में जमा करने के लिए कतिपय शर्तो के अधीन चालू खाते में जमा किये जा सकते है।
4.	स्कीम कोड	चालू खाते निम्न स्कीम कोड के तहत खोले जाएंगे – CA 101 Current Account – General (Residents) CA 110 Current Account – Other Banks
5.	खाता खोलने हेतु पात्रता	खाता खोलते समय शाखा स्तर पर "अपने ग्राहक को जानिये" मानदंडों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी। निर्धारित नियमों एवं दस्तावेजों की पूर्ति करते हुए, एकल व्यक्ति एकल / संयुक्त व्यक्ति, एकल स्वामित्व वाली फर्म, साझेदारी फर्म, हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) अथवा संयुक्त हिन्दू परिवार फर्म, लिमिटेड कम्पनी, को–ऑपरेटिव सोसायटी, धर्मार्थ अथवा सार्वजनिक न्यास का चालू खाता खोला जा सकता है। उपरोक्त के अलावा निम्नलिखित के लिए भी चालू खाते खोले जा सकते है – सरकारी विभागों / निकायों / निगमों / समितियों / मण्डलों / विकास प्राधिकरणों / पंचायत समितियों आदि, बशर्ते सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाती है। अन्य बैंकों / पोस्ट ऑफिस का खाता खोलने से पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय की अनुमति आवश्यक है।
6.	चालू खाता कौन नहीं खोल सकता	निम्नलिखित श्रेणियों के ग्राहक चालू खाता नहीं खोल सकते – 1. निरक्षर 2. 14 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग एकल अथवा संरक्षकों के साथ संयुक्त रूप से
7.	खाता खोलने हेतु न्यूनतम शेष	खाता खोलने हेतु न्यूनतम राशि खाता खोलते समय न्यूनतम प्रारम्भिक जमा राशियां निम्न होगी – ग्रामीण एवं अर्द्धशहरी शाखाएं – ₹ 1000/– शहरी शाखाएं (व्यक्तिगत खाते) – ₹ 2000/– शहरी शाखाएं (अन्य) – ₹ 3000/–
8.	फोटोग्राफ	सभी खातों में खाताधारकों के फोटोग्राफ प्राप्त किये जाएंगे।

क्र.सं.	बिन्दु	विवरण
9.	परिचालनात्मक	खाते के परिचालन हेतु विशेष अनुदेश दिया जा सकेगा। संयुक्त खातों, एकल स्वामित्व फर्म, साझेदारी फर्म, कम्पनी आदि के खातों में खाते के परिचालन हेतु बैंक नियमानुसार अनुदेश दिया जाना चाहिए।खाता परिचालन के संबंध में मुख्तारनामा (Power of Attorney) एवं अधिदेश पत्र (Mandate) जहां ये स्वीकार किये जा सकते हैं।
10.	चेक बुक जारी करना	नया चालू खाता खोलते समय 50 चेक पन्ने निःशुल्क दिए जाएंगे। तदुपरान्त जारी चेक पन्नों हेतु बैंक नियमानुसार प्रभार वसूला जाएगा। चालू खाते में चेक बुक जारी करने का कार्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
11.	चेक/चेक बुक खो जाने पर नयी चैक बुक जारी करना	चेक/चेक बुक गुम होने की सूचना मिलने पर, खातेदार द्वारा विधिवत रुप से हस्ताक्षरित भुगतान रोकने के अनुदेश प्राप्त कर सिस्टम में "भुगतान रोकें" नोट किया जाएगा।
12.	चेको का भुगतान	चेको का भुगतान पराक्रम्य लिखत अधिनियम 1881 के अनुसार सामान्य प्रावधान की पालना करते हुए किया जाएगा।
13.	चेको का भुगतान रोकना	चेकों का भुगतान रोकने का पत्र खाताधारक के हस्ताक्षर से प्राप्त होने पर, भुगतान रोकने के अनुदेशों का रिकार्ड़ रखते हुए, सिस्टम में भुगतान रोकने का रिमार्क लगाया जाएगा। इस हेतु नियमानुसार प्रभार वसूल किया जाएगा।
14.	पास बुक जारी करना	प्रत्येक चालू खातेदार को पास बुक दी जानी चाहिए एवं इसे समय–समय पर अद्यतन किया जाना चाहिए।
15.	सेवा प्रभार	चालू खातों में बैंक द्वारा निर्धारित विभिन्न सेवा प्रभार यथा– बही फोलियो प्रभार, डुप्लीकेट पासबुक/स्अेटमेंट प्रभार, पूर्व की प्रविष्टियों हेतु प्रभार, चेक बुक पन्न प्रभर, न्यूनतम शेष न रखने पर प्रभार, नाम जोड़ने/हटाने के लिए प्रभार, स्थायी अनुदेश प्रभार, अपरिचालित खातों पर प्रासंगिक प्रभार, खातों का समय पूर्व भुगतान (एक वर्ष के अंदर) हेतु प्रभार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता में परिवर्तन या खाते के पुनर्गठन हेतु प्रभार, शेष प्रमाण पत्र हेतु प्रभार, आदि नियमानुसार वसूल किए जाएंगे।
16.	ब्याज का भुगतान	भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशाानुसार चालू खातों में जमा शेष पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।